प्रकरण क्रमांक-1696/2022 राज्य विरुद्ध -बंशीधर नाग

cj-ii

साक्षी क्रमांक- 02	**अभियोजन साक्षी**	**दिनांक- 16.07.2025**
दिन-बुधवार	**साक्षी का उम्र-20 वर्ष**	
नाम-श्री बामन मण्डावी	**पिता/पति का नाम- श्री सोमडू मण्डावी**	
व्यवसाय-कुछ नही	**पता- ग्राम-पखनार पुजारीपारा चौकी-पखनार, थाना-दरभा, जिला– बस्तर, (छ.ग.)**	

समय -3:20 बजे से

मुख्य परीक्षण वास्ते अभियोजन द्वारा श्री अंजय कुमार चौधरी ए.डी.पीओ. ।

1. मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी बंशीधर को नही जानता हूं। साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित आरोपी का फोटो दिखाकर पूछे जाने पर पहचानना अस्वीकार किया ।

2. घटना कब की है मुझे याद नही है । घटना दिनांक को मैं मोटर सायकल से शाम को करीबन 07 बजे डिमरापाल से अपने घर जा रहा था और जब मैं छिन्दावाड़ा के पास पहुंचा था तभी एक ट्रेक्टर वाले ने मुझे मोटर सायकल सहित ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट से मेरे पैर में चोंट आया था, जिसका ईलाज मेडिकल कॉलेज डिमरापाल अस्पताल में हुआ था । इसके अलावा मुझे घटना के संबंध में अन्य जानकारी नही है ।

नोट- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अनुमति प्रदान की गयी ।

3. पुलिसवाले मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे । साक्षी का पुलिस कथन प्रपी.02 है । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मेरे साथ घटित हुए घटना दिनांक-30.07.2022 को हुआ था । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि दुर्घटनाकारित ट्रेक्टर का क्रमांक सीजी.17 के०वी०-8153 है । मुझे इस बात की भी जानकारी नही है कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित ट्रेक्टर का चालक अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था ।

4. मुझे इस बात की भी जानकारी नही है कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित ट्रेक्टर को बंशीधर नाग चला रहा था । मुझे इस बात की भी जानकारी नही है कि मेरे साथ घटित हुए घटना को महादेव, सीताराम व अन्य लोग देखे है ।

/प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्रीमती आरती दुआ अधिवक्ता/

5. यह कहना सही है कि दुर्घटनाकारित वाहन को कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था मैं नही बता सकता । यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय बारिश हो रही थी और मेरे द्वारा मेरे मोटर सायकल का लाईट का अपर-डीपर नही जलाया गया था, जिस कारण मेरे लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित हुआ था ।

साक्ष्य समाप्त–3:30 बजे

गवाह को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

साक्षी के हस्ताक्षर --------------------

(टेसी पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जगदलपुर (छ.ग.)

(टेसी पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जगदलपुर (छ.ग.)